

न्यायालय – दीपक कुमार कोशले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक –क्यू./सी.जे.एम./2023

रायगढ़, दिनांक 16/08/2023

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

मैं दीपक कुमार कोशले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.) धारा –14 एवं 15 दं.प्र.सं. में प्रदत्त शक्तियों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06-02-2023 को रद्द करते हुए जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आपराधिक मामलों का निम्नानुसार नया कार्य विभाजन आदेश पारित करता हूं जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायगढ़ के अनुमोदन पश्चात आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(1) कार्यविभाजन –

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	धारा 14 दं.प्र.सं. के तहत निर्धारित क्षेत्राधिकार	कार्य विभाजन एवं उसका क्षेत्र
01	श्री दीपक कुमार कोशले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.)	सम्पूर्ण राजस्व जिला रायगढ़ (छ.ग.)	<p>1. थाना कोतवाली, थाना जूटमिल, यातायात, जी0आर0पी0, वन परिक्षेत्र रायगढ़, रायगढ़ जिला से संबंधित आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) छ0ग0 आबकारी अधिनियम जिसमें शराब की मात्रा 5 बल्क लीटर से अधिक हो, आबकारी वृत्त क्षेत्र रायगढ़ से उत्पन्न मामले, जिला रायगढ़ अंतर्गत माइनिंग एक्ट 1952, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित मामले, परिवाद, रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना।</p> <p>2. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498-ए भा. दं.सं. के मामले।</p> <p>3. रायगढ़ जिला से संबंधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280(क) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ से संबंधित मामले।</p> <p>4. रायगढ़ जिला से संबंधित समस्त मामलों के खारिजी प्रकरण की कार्यवाही करना।</p> <p><u>किन्तु विशेष न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों की खात्मा, खारिजी प्रकरणों को छोड़कर।</u></p> <p>5. ऐसे समस्त अपराधों का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण करना जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं है तथा जो किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपा गया है या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई अन्य विवाद हो गया हो।</p> <p>6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत संघ, माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>

02	श्री भास्कर मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़		<p>1. थाना चक्रधर नगर (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न मामले, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना।</p> <p>2. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498—ए भा.दं.सं. के मामले।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>
03	श्री गुलापन राम यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़		<p>1. जिला मुख्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामले एवं उक्त परिवाद के बिना मियादी वारंट का निराकरण।</p> <p>2. थाना कोतरारोड (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न मामले, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना।</p> <p>3. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498—ए भा.दं.सं. के मामले।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>
04	कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़		<p>1. जिला मुख्यालय रायगढ़ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाला समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित धारा 354, 509 भा.दं.सं., Pre-Natal diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 संपूर्ण मामलों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित मामले, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा, परिवाद की कार्यवाही करना।</p> <p>2. थाना पूंजीपथरा (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न मामले, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना।</p> <p>3. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498—ए भा.दं.सं. के मामले।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>

05	श्री नीलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़		<p>1. थाना पुसौर (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न मामले, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना।</p> <p>2. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498-ए भा.दं.सं. के मामले।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</p>
06	श्रीमती चन्द्रकला देवी साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	थाना—घरघोड़ा, थाना—तमनार आरक्षी केन्द्र— लैलूंगा, आरक्षी केन्द्र—पूंजीपथरा (रायगढ़ तहसील छोड़कर)	<p>01. जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्थापित आरक्षी केन्द्र घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, पूंजीपथरा के संपूर्ण मामले, वन विभाग घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा पूंजीपथरा से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण की कार्यवाही करना।</p> <p>02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण मामले।</p> <p>03. उक्त थाना क्षेत्र के आवकारी अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिसमें मदिरा की मात्रा 5 बल्क लीटर तक हो।</p> <p>04. आरक्षी केन्द्र घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, पूंजीपथरा से उद्भूत परकार्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण करना।</p> <p>05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण।</p> <p>06. उक्त थाना क्षेत्र की सीमा से उत्पन्न आवेदन पत्र धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. के मामलों की सुनवाई करना।</p> <p>07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>08. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामले। के मामले।</p> <p>09. अपने थाना क्षेत्र के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के मामले।</p> <p>10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरण।</p> <p>11. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498-ए भा.दं.सं. के मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामले।</p> <p>12. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p>

			<u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>
07	सुश्री मंजूषा टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया, जिला –रायगढ़ (छ.ग.)	थाना –खरसिया तथा चौकी खरसिया एवं चौकी जोबी जिला –रायगढ़.	<p>01. जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्थापित आरक्षी केन्द्र खरसिया तथा चौकी खरसिया एवं चौकी जोबी के संपूर्ण मामले, वन विभाग खरसिया क्षेत्र से उद्भूत समस्त आपराधिक अभियोग पत्र, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण।</p> <p>02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techiques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण मामले।</p> <p>03. उक्त थाना एवं चौकी क्षेत्र के आबकारी अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिसमें मदिरा की मात्रा 5 बल्क लीटर तक हो।</p> <p>04. आरक्षी केन्द्र खरसिया तथा चौकी खरसिया एवं जोबी क्षेत्र से उद्भूत परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 के समर्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण करना।</p> <p>05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण।</p> <p>06. उक्त थाना क्षेत्र की सीमा से उत्पन्न आवेदन पत्र धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. के मामलों की सुनवाई करना।</p> <p>07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>08. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामले।के मामले।</p> <p>09. अपने थाना क्षेत्र के दूकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के मामले।</p> <p>10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरण।</p> <p>11. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498-ए भा. दं.सं. के मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामले।</p> <p>12. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>
08	श्रीमती दिप्ती बरवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया, जिला –रायगढ़ (छ.ग.)	थाना भूपदेवपुर जिला –रायगढ़.	<p>01. जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्थापित आरक्षी केन्द्र भूपदेवपुर के संपूर्ण मामले, वन विभाग भूपदेवपुर क्षेत्र से उद्भूत समस्त आपराधिक अभियोग पत्र, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण।</p> <p>02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techiques (Prohibition of Sex</p>

		<p>Selection) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण मामले।</p> <p>03. उक्त थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिसमें मदिरा की मात्रा 5 बल्कि लीटर तक हो।</p> <p>04. आरक्षी केन्द्र भूपदेवपुर क्षेत्र से उदभूत परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण करना।</p> <p>05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण।</p> <p>06. उक्त थाना क्षेत्र की सीमा से उत्पन्न आवेदन पत्र धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. के मामलों की सुनवाई करना।</p> <p>07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>08. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामले।</p> <p>09. अपने थाना क्षेत्र के दूकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के मामले।</p> <p>10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरण।</p> <p>11. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498-ए भा. दं.सं. के मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामले।</p> <p>12. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>
09	श्री अमित मात्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़, जिला— रायगढ़.	<p>थाना—धरमजयगढ़, थाना —कापू थाना —छाल, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)</p> <p>01. जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्थापित आरक्षी केन्द्र धरमजयगढ़, कापू छाल के संपूर्ण मामले, वन विभाग धरमजयगढ़, कापू एवं छाल से उदभूत समस्त आपराधिक अभियोग पत्र, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण।</p> <p>02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण मामले।</p> <p>03. उक्त थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिसमें मदिरा की मात्रा 5 बल्कि लीटर तक हो।</p> <p>04. आरक्षी केन्द्र धरमजयगढ़, कापू एवं छाल से उदभूत परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण करना।</p> <p>05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण।</p>

		<p>06. उक्त थाना क्षेत्र की सीमा से उत्पन्न आवेदन पत्र धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. के मामलों की सुनवाई करना।</p> <p>07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>08. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामले। के मामले।</p> <p>09. अपने थाना क्षेत्र के दूकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के मामले।</p> <p>10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरण।</p> <p>11. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 498-ए भा. दं.सं. के मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामले।</p> <p>12. माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>
11	सुश्री प्रांजलि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़, जिला रायगढ़.	<p>माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>
12.	श्री सौरभ बारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी रायगढ़, जिला रायगढ़.	<p>माननीय सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p> <p><u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u></p>

//आवश्यक टीप//

01. किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्भित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
02. रिक्त न्यायालय श्रीमती मंजूलता सिंहा एवं सुश्री सीमा कंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के न्यायालय से संबंधित कोई भी अपीलीय मामले एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात अथवा अपील विविध कार्यवाही, बिना मियादी वारंट मय प्रकरण में जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित अत्यावश्यक कार्य एवं अभिलेखागार से प्राप्त बिना मियादी वारंट से संबंधित प्रकरण का संपादन करने हेतु संबंधित अभिलेख श्री नीलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

03. **रिक्त न्यायालय सुश्री सतप्रीत कौर छाबड़ा एवं सुश्री श्वेता बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के न्यायालय से संबंधित कोई भी अपीलीय मामले एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात अथवा अपील विविध कार्यवाही, बिना मियादी वारंट मय प्रकरण में जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित अत्यावश्यक कार्य एवं अभिलेखागार से प्राप्त बिना मियादी वारंट से संबंधित प्रकरण का संपादन करने हेतु संबंधित अभिलेख **कु⁰ प्रीति**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.) को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।**

04. **रिक्त न्यायालय श्रीमती अंकिता अग्रवाल एवं सुश्री श्वेता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के न्यायालय से संबंधित कोई भी अपीलीय मामले एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात अथवा अपील विविध कार्यवाही, बिना मियादी वारंट मय प्रकरण में जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित अत्यावश्यक कार्य एवं अभिलेखागार से प्राप्त बिना मियादी वारंट से संबंधित प्रकरण का संपादन करने हेतु संबंधित अभिलेख **सुश्री प्रांजली नेताम**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.) को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।**

05. **रिक्त न्यायालय श्री विवेक गर्ग एवं श्री अंशुल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के न्यायालय से संबंधित कोई भी अपीलीय मामले एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात अथवा अपील विविध कार्यवाही, बिना मियादी वारंट मय प्रकरण में जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित अत्यावश्यक कार्य एवं अभिलेखागार से प्राप्त बिना मियादी वारंट से संबंधित प्रकरण का संपादन करने हेतु संबंधित अभिलेख श्री **गुलापन राम यादव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.) को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।**

06. साईबर सेल से संबंधित सुपुर्दनामा प्रकरणों का निराकरण संबंधित थाना क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा एवं समय-समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे जाने पर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

रायगढ़ जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा :-

(2) अनुपस्थिति की दशा में:-

01— रायगढ़ जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा :-

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम व पद
01.	श्री दीपक कुमार कोशले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. सुश्री, प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
02.	श्री भास्कर मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़	1. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. सुश्री प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़
03.	श्री गुलापन राम यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़	1. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. सुश्री, प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़

04.	कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़	1. सुश्री प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़
05.	श्री नीलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़	1. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. सुश्री प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़
06.	श्रीमती चन्द्रकला देवी साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. सुश्री प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
07	श्रीमती दिप्ती बरवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया, जिला —रायगढ़ (छ.ग.)	1. सुश्री मंजूषा टोपो, जे.एम.एफ.सी. खरसिया 2. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. सुश्री प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री गुलापन राम यादव जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
08.	सुश्री मंजूषा टोपो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया, जिला —रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती दिप्ती बरवा, जे.एम.एफ.सी. खरसिया 2. श्री नीलेश जगदल्ला जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. सुश्री प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
09.	श्री अमित मात्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़, जिला— रायगढ़.	1. श्रीमती चन्द्रकला देवी साहू, जे.एम.एफ.सी.घरघोड़ा 2. सुश्री प्रांजली नेताम, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
10.	सुश्री प्रांजलि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़, जिला— रायगढ़.	1. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़
11.	श्री सौरभ बारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी रायगढ़, जिला— रायगढ़.	1. सुश्री प्रांजलि नेताम, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 2. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

02— न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश/अनुपस्थिति के दौरान संबंधित मजिस्ट्रेट के थाना क्षेत्र से उद्भूत समरी प्रकरणों को भी उपरोक्त आवश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् निराकृत किया जायेगा।

03— यदि उपरोक्त आवश्यक कार्य करने वाले कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो मुख्यालय में उपस्थित एवं उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक प्रकृति के कार्य किया जायेगा।

04— आवश्यक प्रकृति का कार्य जैसे जमानत, सुपुर्दनामा, समरी प्रकरण में स्वीकारोक्ति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, अपर सत्र न्यायालय के आदेशों के पालन में जमानत मुचलका तस्दीक कर उसका निराकरण करना, या अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य जिनका संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थिति पर रहने के दौरान सम्पादित किया जाना जरूरी हो।

(3) रिमाण्ड ड्यूटी

01— न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़, घरघोड़ा एवं खरसिया अवकाश दिवस में अपने स्टाफ सहित आवश्यक न्यायिक रिमाण्ड संबंधी कार्यों का निष्पादन करेंगे। न्यायालय घरघोड़ा में श्रीमती चन्द्रकला देवी साहू, जे.एम.एफ.सी. प्रत्येक माह रिमाण्ड ड्यूटी संपादन करेंगे। न्यायालय खरसिया में श्रीमती दिप्ती बरवा, जे.एम.एफ.सी. प्रत्येक माह दिनांक 01 से 15 तारीख तक एवं सुश्री मंजूषा टोप्पो, जे.एम.एफ.सी. दिनांक- 16 से माह के अंत तक रिमाण्ड कार्य संपादन करेंगे। न्यायालय धरमजयगढ़ में श्री अमित मात्रे, जे.एम.एफ.सी प्रत्येक माह रिमाण्ड ड्यूटी संपादन करेंगे। उक्त अवधि में उनमें से न हो तो वे आपसी सामंजस्य के आधार पर रिमाण्ड कार्य संपादन करेंगे, जिसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को देंगे।

02— अपरिहार्य कारणों से या मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदला जा सकेगा, लेकिन उसके लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। जिला मुख्यालय रायगढ़ में कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

03— अपरिहार्य परिस्थिति निर्मित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी या अन्य कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा निर्देशित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।

04— रायगढ़ जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अवकाश पर जाने के पूर्व या मुख्यालय छोड़ने के पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ की लिखित अनुशंसा (विशेष परिस्थिति में मौखिक अनुशंसा) पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर रहने के लिये अग्रसर होंगे तथा अवकाश से लौटने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित करेंगे तथा सभी अवकाश आवेदन की प्रतिलिपि उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले मजिस्ट्रेटों को देना एवं उनकी सहमति लेना आवश्यक होगा।

(4) धारा 164 दंप्र०सं० के तहत कथन दर्ज करने की अधिकारिता

01— रायगढ़ जिले में पदरथ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा धारा 164 दंप्र०सं० के अंतर्गत समस्त कार्यवाही करना/संस्थाकृति एवं कथनों का लेखबद्ध किया जाना एवं उनकी अनुपस्थिति में उक्त कथन निम्नानुसार न्यायालयों द्वारा दर्ज किया जावेगा :—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम व पद
1	2	3
01.	श्री दीपक कुमार कोशले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.) के थाना कोतवाली क्षेत्र से संबंधित धारा 164 दंप्र०सं० के कथन कॉलम नंबर- 3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	1. कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़। (धारा 354, 509 भा.दं.सं. से संबंधित मामलों को छोड़कर) 2. श्री गुलापन राम यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़। नोट :- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जायेगे।
	थाना कोतवाली क्षेत्र से संबंधित धारा 354, 509 भा.दं.सं से संबंधित मामलों का धारा 164 दंप्र०सं० के कथन कॉलम नंबर- 3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	1. श्री नीलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़। 2. श्री गुलापन राम यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़। 3. श्री भास्कर मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़। नोट :- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जायेगे।
02.	श्री भास्कर मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के थाना- क्षेत्र से संबंधित धारा 164 दंप्र०सं० के कथन	1. श्री गुलापन राम यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़। नोट :- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान

<p>दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।</p>	<p>3. सुश्री मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया, जिला –रायगढ़</p> <p><u>नोट :-</u> उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जायेगे।</p>
--	--

(दीपक कुमार कोशले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक— क्यू./सी.जे.एम./2023

रायगढ़ दिनांक:— 16/08/2023

प्रतिलिपि प्रेषित :—

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. श्रीमान् प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
04. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ टी सी) रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
05. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सारंगढ़/घरघोड़ा की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. श्रीमान् छष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
07. श्री भास्कर मिश्र, जे एम एफ सी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
08. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
09. कु0 प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
11. श्रीमती चन्द्रकला देवी साहू, जे.एम.एफ.सी. घरघोड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
12. सुश्री मंजूषा टोप्पो, जे.एम.एफ.सी. खरसिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. श्रीमती दीपि बरवा, जे.एम.एफ.सी. खरसिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. श्री अमित मात्रे, जे.एम.एफ.सी. धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
15. सुश्री प्रांजलि नेताम, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
16. सुश्री सौरभ बारा, जे.एम.एस.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
17. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ/तहसील अधिवक्ता संघ, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
18. कलेक्टर, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
19. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवम् रायगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारी को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।
20. जिला अभियोजन अधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
21. वन मण्डलाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
22. जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
23. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को सूचनार्थ एवम् वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
24. सेण्ट्रल फाईलिंग सेक्शन, लायब्रेरी को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
25. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

रायगढ़

दिनांक:— 16/08/2023

(दीपक कुमार कोशले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)